# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

**अपील संख्या :– 10/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)**
**आरसीएमएस संख्या :– 2017/00034**

उनवान

राजेन्द्र कुमारी उर्फ राजेन्द्री पत्नी विधाराम जाति वघेला निवासी ग्राम खुर्द हाल आबाद गडरपुरा धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रधानाध्यापक राज0 उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्द ग्राम पंचायत सिंघावली तहसील व जिला धौलपुर।
2. सुरेश पुत्र हरविलास जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चंगोरा।
3. सुरेश पुत्र भगवान सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खुर्द।
4. लज्जाराम पुत्र गैंदालाल जाति बघेला निवासी ग्राम खुर्द।
5. रामू पुत्र लज्जाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खुर्द।
6. मेघ सिंह पुत्र तुला जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली तहसील व जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.2016 प्रकरण संख्या 15/12 उनवान राजेन्द्र कुमारी बनाम प्रधानाध्यापक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री जे0पी0 शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री धीरज शर्मा अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :–08.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 472 रकवा 02 बीघा 15 विस्वा ग्राम खुर्द तहसील व जिला धौलपुर की वादिया/अपीलाण्ट खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु वह वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। कुछ माह पहले उन्होनें पूरवी व दक्षिणी दिशा में घुस कर निर्माण करने का प्रयास किया। वादिया/अपीलाण्ट ने उन्हें रोका तो वह झगडा करने पर उतारू हो गये। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो वह अपने उद्देश्य में सफल हो जावेगें एवं जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नगद नहीं हो सकेगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन

आदेश दिनांक 14.06.2016 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलाण्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से तनकी संख्या 01 को भली भॉत साबित किया है। इसके विपरीत प्रतिवादी रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट खातेदार कृषक दर्ज रिकार्ड हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी अपीलाण्ट खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। जबकि प्रतिवादी रैस्पो0 ने अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया है कि पक्की बाउण्ड्री का निर्माण किया गया था जिसे वादिया अपीलाण्ट ने तोड दिया। इससे स्पष्ट है कि रैस्पो0 ने अपीलाण्ट की आराजी पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य से बाहर जाकर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले खारिजी है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। बल्कि अपीलाण्ट ही राजकीय स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं उनके द्वारा स्कूल की पक्की बाउण्ड्री को तोड कर नष्ट कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। दौराने बहस उभयपक्ष विवादित भूमि की पैमाईश कराये जाने हेतु सहमत हुये। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्व कर्मचारियों से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित भूमि की पैमाईश एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

सीमांकन कराते हुये, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः विधिअनुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर